प्रेस नोट

दिनांक 06.05.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त, मय चोरी गये एक अदद कार व 82.64 ग्राम पीली धातु/सोना के साथ गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वारण्टी/ वांछित अभियक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चालए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को थाना राठ पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2025 धारा 103(1)/305/316(2)317(2) भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अलताफ अली पुत्र शेख आजाद अली निवासी दक्षिण पुल हाउस मुस्लिमपरा थाना हरीपाल जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) को समय 02.10 रात्रि मे मल्हौला रोड बैला बाजार के पास से मय चोरी की बैलोनो कार नं0-यूपी 91 डब्लू 5774 व बिस्किट नुमा पीली धातु/ सोना वजन करीब 82.64 ग्राम के साथ गिरफ्तार कर। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया ।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 21.04.2025 को वादी श्रीमती नीतू पत्नी स्व0 धूराम सोनी निवासी मुहल्ला सिकन्दरपुरा कस्वा व थाना राठ जनपद हमीरपुर के लिखित तहरीर बावत अभियुक्त द्वारा वादी के पति धूराम सोनी (उम्र करीब 45 वर्ष) को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर देना तथा सोना वापस ना करना व वादिया के पति की कार बैलोनो यूपी 91 डब्लू 5774 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ था।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 181/25 धारा 103(1)/305/316(2)317(2) भारतीय न्याय संहिता बनाम अलताफ अली बंगाली पुत्र शेख आजाद अली निवासी दक्षिण पुल हाउस नं0- मुस्लिम परा थाना हरीपाल जिला हुगली के विरुद्ध पजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का नाम व पता

अभि0 अलताफ अली पुत्र शेख आजाद अली (उम्र करीब 40 वर्ष) निवासी दक्षिण पुल हाउस मुस्लिमपरा थाना हरीपाल जिला हुगली (पश्चिम बंगाल)

बरामदगी का विवरण-

1.एक अदद कार नं0 यूपी 91 डब्लू 5774

2. स्किट नुमा पीली धातु सोना वजन करीब 82.64 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1.प्रभारी निरीक्षक रामआसरे सरोज

2.उ0नि0 विनेश गौतम

3.उ0नि0 जनार्दन प्रताप सिह

4.का0 अभिषेक राजपूत

5.का0 योगेश कुमार